भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 191

दिनांक 02.02.2021/13 माघ, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

फेसियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी

191. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

श्री विनसेंट एच. पालाः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उपयोग की जा रही फेसियल रिकग्निशन प्रौद्योगिकी (एफआरटी) तंत्र की संख्या कितनी है;

(ख) क्या नागरिकों की अनधिकृत निगरानी के लिए एफआरटी के प्रयोग को रोकने हेतु पुलिस बल को कोई दिशा-निर्देश दिये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाए जा रहे फेसियल रिकग्निशन तंत्र की सटीकता के निर्धारण हेतु किसी केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोई अध्ययन करवाया गया है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी किशन रेड्डी)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। अपराधों की जांच और अभियोजन सहित कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा नागरिकों के जान और माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है। राज्य सरकारें कानून के मौजूदा प्रावधानों के तहत ऐसे अपराधों से निपटने में सक्षम हैं। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिक रिकार्ड और सूचना के उपयोग तथा चेहरा पहचानने समेत वैयक्तिक आंकड़ों के संग्रहण एवं भण्डारण के तरीके का विनियमन सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा किया जाता है। इसके अलावा, प्रयुक्त की जाने वाली प्रौद्योगिकी के अंतर्गत चेहरा पहचान प्रणाली इसकी सटीकता देखने का कार्य करती है। इस संबंध में केन्द्रीकृत रूप से कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

******